न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 88/2016

मैनपाल पुत्र किशलाल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बी एन एम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
3. फूसाराम पुत्र खेमाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेंट्स

(2) अपील संख्या 182/2016

साबूताराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बी एन एम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 31.12.2015

उपस्थितिः—

श्री राकेश मुनचन्दा अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं. 88/2016

श्री बाबूलाल चांडक अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 182/2016

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक रेस्पो. शंकरलाल

श्री प्रदीप कुमार अभिभाषक रेस्पो. सं. 3 अपील संख्या 88/2016

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

9/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 09.11.2017

उपरोक्त दोनों अपीलें उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा प्रार्थी रेस्पो. शंकरलाल को चक 7 एमसी प.न. 37/14 के कि0न0 3/1, 4/2, 5/1, 6/1, 7/1, 12/1, 19/1, 20/1, 21, 22/1, 23/2 की कुल 1.428 है0 भूमि राज.उप. (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत स्मालपैच में आवंटन किया गया है। दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावें ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 88/2016 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया किया विवादित भूमि छतरगढ से राजियासर को जाने वाली सड़क के चिपती हुई है एवं मौका पर दुकाने होने से काफी कीमती है । अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है यदि सुना जाता तो निलामी से आवंटन होता तो राज्य सरकार को अधिक आय होती है। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रकिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

9/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 182/2016 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व कानूनी प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया एवं रेस्पो. को लाभ पहुंचाने के लिए विवादित भूमि का आवंटन रेस्पो. को कर दिया। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने प्रा.पत्र धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 1994 पेज 356, आर.आर.डी. 2002 पेज 120 की नजीरें पेश की है।

विद्वान अभिाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पो. ने धारा 96 सीपीसी के प्रा0पत्र का जबाव पेश कर धारा 96 सीपीसी के प्रा.पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। साथ ही दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र का जबाव पेश कर कथन किया कि अपीलें मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे। इसके अलावा वकील रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि अपीलांट विवादित भूमि के चिपता हुआ काश्तकार नहीं है उसे किसी प्रकार से नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी। इस सम्बन्ध में वकील रेस्पो. ने आर.आर.टी. 2016(1) पेज 185 की नजीर पेश की और निवेदन किया कि दोनों ही अपीलें खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका जबाव वकील रेस्पो. ने पेश किया है। चूंकि अपील पेश होकर दर्ज रजिस्टर हो चुकी है एसी स्थिति में न्यायहित में दोनों ही अपीलों में धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। दोनों ही अपीलें आदेश दिनांक 31.12.15 के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 30.03.2016 एवं 09.08.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका जबाव वकील रेस्पो. ने पेश किया है। किन्तु न्याय हित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीले अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा ये दोनों अपीलें अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सूरतगढ ने रेस्पो. शंकरलाल को चक 7 एमसी पै.न. 37/14 के कि0न0 3/1, 4/2, 5/1, 6/1, 7/1, 12/1,19/1, 20/1, 21, 22/1, 23/2 की कुल 1.428 है. भूमि राज.उप. (इ.गा.न.प.क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत स्मालपैच में आवंटन किया गया है अपीलांट ने उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा।

अपील संख्या 182/2016 सावंताराम बनाम शंकरलाल में अपील मीमों के बिन्दु संख्या 6 में अपीलांट का रकबा वादाधीन रकबा के चिपता हुआ रकबा जाहिर कर कथन की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबंदी अपील के साथ पेश करना बताया है जबकि अपील अपीलांट द्वारा फार्म नं. 3 के साथ पेश दस्तावेजों में नकल जमाबंदी नहीं है तथा न ही आराजी का विवरण दर्शाया है। अतः अपीलांट का चिपता हुआ रकबा साबित नहीं होता है तथा अपील मीमों के बिन्दु संख्या 5 में विवादित आराजी भूमि पर तीन दुकानों का निर्माण किया जो राजकीय भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतिक्रमण करना confess किया है जो राजस्व कानूनों का अपराध है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

इसी निर्णय दिनांक 31.12.2015 की अपील मैनपाल पुत्र किशनलाल ने भी की है। अपील मीमों के बिन्दु संख्या 4 में अपीलांट ने रेस्पो. सं0 3 की पैरवी की है जिसमें अंकित किया है कि " अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्मालपैच में जरे अपील में अंकित रकबा आवंटन करवाने के लिये एक प्रार्थना पत्र फूसाराम पुत्र खेमाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा के द्वारा दिनांक 16.03.2015 को मय शपथ पत्र पेश किया गय था जिस पर दिनांक 31.03.2015 को पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई और तहसीलदार सूरतगढ के कार्यालय के द्वारा कमांक 1859 दिनांक 01.04.2015 को प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट अधीनस्थन न्यायालय को भिजवाया गया जो कि उसी रोज न्यायालय को प्राप्त हो गया। उक्त रिपोर्ट दिनांक 31.03.2015 की बिन्दु संख्या 7 में पूर्व में रेस्पो सं. 1 शंकरलाल पुत्र चेतनराम के नाम से स्मलपेच हेतु फाईल प्रेषित की होना अंकित किया गया है। उक्त फूसाराम का प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट प्राप्त दिनांक 01.04.2015 को प्राप्त होने के बाद उसे ना तो दर्ज रजिस्टर किया "। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील की इबारत से यह शंकरलाल के आवंटन से कम पीड़ित अपितु फूसाराम को आवंटन नहीं होने से ज्यादा पीड़ित है जिसकी विधिक Remedy सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1ए में उपलब्ध है जो अनुतोष फूसाराम को उस स्थिति में मिल सकता है जब अपील अपीलांट प्रत्याहरण कर देता है तथा रेस्पो. अपीलांट बनने का प्रार्थना पत्र देता है एवं न्यायालय उसे स्वीकार करता है। इस परिप्रेक्ष्य में Legal locus-standai खोने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर